हरियाणा सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

अधिसूचना

दिनांक 11 फरवरी, 2014

संख्या सा0 का0 नि0 15/संवि0/अनु0 309/2014.– भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा, हरियाणा ग्रामीण विकास विभाग (ग्रुप ख) सेवा नियम, 1998, को आगे से संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:–

1. ये नियम हरियाणा ग्रामीण विकास विभाग (ग्रुप ख) सेवा (संशोधन) नियम, 2014 कहे जा सकते है।

2. हरियाणा ग्रामीण विकास विभाग (ग्रुप ख) सेवा नियम, 1998, (जिन्हें, इसमें, इसके बाद, उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 9 में, उप नियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उप नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

"(1) सेवा में भर्ती निम्नलिखित ढंग से की जाएगी:–

(क) लेखा अधिकारी की दशा में, वित्त विभाग हरियाणा से स्थानान्तरण द्वारा;

(ख) प्रणाली विश्लेषक की दशा में,–

(i) प्रोग्रामर में से पदोन्नति द्वारा ;

(ii) सीधीभर्ती द्वारा ; या

(iii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानांतरण द्वारा या प्रतिनियुक्ति द्वारा;

(ग) परियोजना अधिकारी की दशा में,–

(i) सहायकों में से पदोन्नति द्वारा; या

(ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से लगे किसी कर्मचारी के स्थानांतरण द्वारा या प्रतिनियुक्ति द्वारा;

(घ) अधीक्षक की दशा में,–

(i) सहायकों में से पदोन्नति द्वारा; या

(ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से लगे किसी कर्मचारी के स्थानांतरण द्वारा या प्रतिनियुक्ति द्वारा;

(ड) अनुसंधान अधिकारी की दशा में,–

(i) तकनीकी सहायकों में से पदोन्नति द्वारा;

(ii) सीधी भर्ती द्वारा; या

(iii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से लगे किसी कर्मचारी के स्थानांतरण द्वारा या प्रतिनियुक्ति द्वारा;

(च) निजी सचिव की दशा में,–

(i) निजी सहायक या वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक में से पदोन्नति द्वारा; या

(ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानांतरण द्वारा या प्रतिनियुक्ति द्वारा;

(छ) परियोजना अधिकारी (एम आई एस)की दशा में,–

(i) सहायक प्रोग्रामर में से पदोन्नति द्वारा ;

(ii) सीधी भर्ती द्वारा ; या

(iii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानांतरण द्वारा या प्रतिनियुक्ति द्वारा।"।

3. उक्त नियमों में, परिशिष्ट क तथा ख के स्थान पर, निम्नलिखित परिशिष्ट प्रतिस्थापित किये जाएंगे, अर्थात्:–

"परिशिष्ट क

(देखिए नियम 3)

क्रम संख्या	पदनाम	पदों की संख्या		योग	वेतनमान
		स्थाई	अस्थाई		
1	लेखाधिकारी	1	..	1	₹ 9300–34800+5400ग्रेड पे
2	प्रणाली विश्लेषक	...	1	1	₹ 9300–34800+5400ग्रेड पे
3	परियोजना अधिकारी	4	..	4	₹ 9300–34800+4200ग्रेड पे + 200 स्पेशल पे
4	अधीक्षक	...	1	1	₹ 9300–34800+4200ग्रेड पे + 200 स्पेशल पे
5	अनुसंधान अधिकारी	2	...	2	₹ 9300–34800+4200ग्रेड पे
6	निजी सचिव	1	...	1	₹ 9300–34800+4200ग्रेड पे
7	परियोजना अधिकारी (एम आई एस)	...	1	1	₹ 9300–34800+4200ग्रेड पे

परिशिष्ट ख

(देखिए नियम 7)

कम संख्या	पदनाम	सीधी भर्ती के लिए अर्हतायें और अनुभव, यदि कोई हो	सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्ति के लिए अर्हतायें और अनुभव, यदि कोई हो
1	2	3	4
1	लेखाधिकारी	....	जैसा उनके पैतृक विभाग में लागू है।
2	प्रणाली विश्लेषक	(i) बीई / बीटैक / एमटैक (कम्पयुटर साईंस / आईटी. / इलैकट्रोनिक एवं कामुनिकेशन) में प्रथम श्रेणी या एम सी ए / एम एस सी (कम्पयुटर साईंस) में प्रथम श्रेणी या बी / सी स्तर का डीओई से प्रथम श्रेणी में कोर्स या एम एस सी (अर्थशास्त्र / गणित / सांख्यिकी) में प्रथम श्रेणी तथा प्रथम श्रेणी में पीजीडीसीए (ii) किसी संगठन से साफ्टवेयर विकास में पांच वर्ष का अनुभव (iii) मैट्रिक स्तर तक या उच्चतर शिक्षा में हिन्दी / संस्कृत का ज्ञान।	**पदोन्नति द्वारा–** (i) बीई / बीटैक / एमटैक (कम्पयुटर साईंस / आईटी. / इलैकट्रोनिक एवं कामुनिकेशन) में प्रथम श्रेणी या एम सी ए / एम एस सी (कम्पयुटर साईंस) में प्रथम श्रेणी या बी / सी स्तर का डीओई से प्रथम श्रेणी में कोर्स या एम एस सी (अर्थशास्त्र / गणित / सांख्यिकी) में प्रथम श्रेणी तथा प्रथम श्रेणी में पीजीडीसीए ; (ii) प्रोग्रामर के रूप में पांच वर्ष का अनुभव; **स्थानांतरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;** (i) बीई / बीटैक / एमटैक (कम्पयुटर साईंस / आईटी. / इलैकट्रोनिक एवं कामुनिकेशन) में प्रथम श्रेणी या एम सी ए / एम एस सी (कम्पयुटर साईंस) में प्रथम श्रेणी या बी / सी स्तर का डीओई से प्रथम श्रेणी में कोर्स या एम एस सी (अर्थ शास्त्र / गणित / सांख्यिकी) में प्रथम श्रेणी तथा प्रथम श्रेणी में पीजीडीसीए (ii) किसी विभाग में साफ्टवेयर विकास में पांच वर्ष का अनुभव (iii) मैट्रिक स्तर तक या उच्चतर शिक्षा में हिन्दी / संस्कृत का ज्ञान।

1	2	3	4
3	परियोजना अधिकारी	...	**पदोन्नति द्वारा;** (i) स्नातक; (ii) सहायक के रूप में 10 वर्ष का अनुभव; **स्थानांतरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;** (i) स्नातक; (ii) अधीक्षक या उप–अधीक्षक के रूप में एक वर्ष का अनुभव या सहायक के रूप में 10 वर्ष का अनुभव; (iii) मैट्रिक स्तर तक या उच्चतर शिक्षा में हिन्दी/संस्कृत का ज्ञान।
4	अधीक्षक	....	**पदोन्नति द्वारा;** सहायक के रूप में 10 वर्ष का अनुभव; **स्थानांतरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;** (i) स्नातक; (ii) अधीक्षक या उप–अधीक्षक के रूप में एक वर्ष का अनुभव या सहायक के रूप में 10 वर्ष का अनुभव; मैट्रिक स्तर तक या उच्चतर शिक्षा में हिन्दी/संस्कृत का ज्ञान;
5	अनुसंधान अधिकारी	(i) किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र या गणित या वाणिज्य सांख्यिकीय के साथ द्वितीय श्रेणी में एम0ए0 ; (ii) आंकड़ों के संग्रहण/संकलन/विश्लेषण में दो वर्ष का अनुभव; (iii) मैट्रिक स्तर तक या उच्चतर शिक्षा में हिन्दी/संस्कृत का ज्ञान।	**पदोन्नति द्वारा;** तकनीकी सहायक के रूप में तीन वर्ष का अनुभव– **स्थानांतरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा:** (i) किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र या गणित या वाणिज्य सांख्यिकीय के साथ द्वितीय श्रेणी में एम0ए0; (ii) आंकड़ों के संग्रहण/संकलन/विश्लेषण में दो वर्ष का अनुभव; (iii) मैट्रिक स्तर तक या उच्चतर शिक्षा में हिन्दी/संस्कृत का ज्ञान;

1	2	3	4
6	निजी सचिव	...	**पदोन्नति द्वारा;** निजी सहायक के रूप मे एक वर्ष का अनुभव या वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक के रूप में आठ वर्ष का अनुभव; **स्थानांतरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;** (i) निजी सहायक के रूप में पांच वर्ष का अनुभव; (ii) मैट्रिक स्तर तक या उच्चतर शिक्षा में हिन्दी / संस्कृत का ज्ञान;
7	परियोजना अधिकारी (एम आई एस)	(i) एम ए (अर्थशास्त्र / गणित / सांख्यिकी / ग्राम्य विकास) / एम0बी0ए0 / एम0सी0ए0; (ii) प्रौद्योगिकी तकनीक की प्रकियाओं तथा ग्रामीण विकास कार्यकमों का कम से कम दस वर्ष का अनुभव (iii) मैट्रिक स्तर तक या उच्चतर शिक्षा में हिन्दी / संस्कृत का ज्ञान।	**पदोन्नति द्वारा;** (i) एम ए (अर्थशास्त्र / गणित / सांख्यिकी / ग्राम्यविकास) / एम0 बी0 ए0 / एम0सी0ए0 (ii) सहायक प्रोग्रामर के रूप में दस वर्ष का अनुभव ; **स्थानांतरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;** (i) एम ए (अर्थशास्त्र / गणित / सांख्यिकी / ग्राम्य–विकास) / एम0बी0ए0 / एम0सी0ए0; (ii) प्रौद्योगिकी तकनीक की प्रक्रियाओं तथा ग्रामीण विकास कार्यक्रमों का कम से कम दस वर्ष का अनुभव; (iii) मैट्रिक स्तर तक या उच्चतर शिक्षा में हिन्दी / संस्कृत का ज्ञान। "।

4. उक्त नियमों में परिशिष्ट ग तथा घ में,–

(i) खाना 1 तथा 2 के नीचे, कम संख्या 1 से 3 तथा उनके सामने विधमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्याएं तथा प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:–

1	2
" 1	प्रणाली विश्लेषक
2	परियोजना अधिकारी
3	अधीक्षक
4	अनुसंधान अधिकारी
5	निजी सचिव
6	परियोजना अधिकारी (एम आई एस)"

(ii) विद्यमान टिप्पण के स्थान पर, निम्नलिखित टिप्पण प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:--

" *टिप्पण* – लेखाधिकारी के पद के सम्बन्ध में शास्तियां पैतृक विभाग के सेवा नियमों के अनुसार अधिरोपित की जायेंगी।" ।

रामनिवास,
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
ग्रामीण विकास विभाग।

[Authorised English Translation]

HARYANA GOVERNMENT

RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT

Notification

The 11th February, 2014

No. G.S.R. 15/Const./Art. 309/2014.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Haryana, hereby makes the following rules further to amend the Haryana Rural Development Department(Group B) Service Rules, 1998, namely :-

1. These rules may be called the Haryana Rural Development Department (Group B) Service (Amendment) Rules, 2014.

2. In the Haryana Rural Development Department (Group B) Service Rules, 1998 (hereinafter called the said rules), in rule 9, for sub rule (1), the following sub-rule shall be substiuted, namely :-

"(1) Recruitment to the Service shall be made, -

(a) in the case of Accounts Officer by transfer from Finance Department, Haryana;

(b) in the case of System Analyst, -

(i) by promotion from Programmer;

(ii) by direct recruitment; or

(iii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India;

(c) in the case of Project Officer, –

(i) by promotion from amongst the Assistants ; or

(ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India;

(d) in the case of Superintendent, –

(i) by promotion from amongst the Assistants ; or

(ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India;

(e) in the case of Research Officer, –

(i) by promotion from Technical Assistant ;

(ii) by direct recruitment ; or

(iii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India.

(f) in the case of Private Secretary,-

(i) by promotion from amongst the Personal Assistant/ Senior Scale Stenographer; or

(ii) by transfer or deputation of any official already in the service of any State Government or the Government of India;

(g) in the case of Project Officer(MIS),-

(i) by promotion from the Assistant Programmer;

(ii) by direct recruitment; or

(iii) by transfer or deputation of any official already in the service of any State Government or the Government of India.".

3. In the said rules, for Appendicies A and B, the following Appendicies shall be substituted, namely :--

" APPENDIX A

(see rule 3)

Sr. No.	Designation of Post	Number of Posts		Total	Scale of Pay
		Permanent	Temporary		
1.	Accounts Officer	1	....	1	₹ 9300-34800 + 5400 GP
2.	System Analyst	...	1	1	₹ 9300-34800 + 5400 GP
3.	Project Officer	4	...	4	₹ 9300-34800 + 4200 GP+200 SP
4.	Superintendent	....	1	1	₹ 9300-34800 + 4200 GP+200 SP
5.	Reserach Officer	2	...	2	₹ 9300-34800 + 4200 GP
6.	Private Secretary	1	...	1	₹ 9300-34800 + 4200 GP
7.	Project Officer(MIS)	...	1	1	₹ 9300-34800 + 4200 GP

APPENDIX B

(see rule 7)

Sr. No.	Designation of Post	Academic qualifications and experience, if any, for direct recruitment	Academic qualifications and experience, if any, for appointment other than by direct recruitment
1	2	3	4
1	Accounts Officer	—	As applicable in their parent department
2	System Analyst	(i) Bachelor of Engineering/ Bachelor of Technology/ Master of Technology in (Computer Science/ Information Technology/ Electronics and Communication) with 1st Division or Master of Computer Applications / Master of Science (Computer Science) with 1st Division or 'B'/'C' Level course from Department of Electronics with 1st Division or Master of Science in (Physics/ Mathematics/Statistics) with 1st Division and Post Graduate Diploma in Computer Application with 1st Division; (ii) five years experience of Software Development in any Organization; and (iii) Hindi/Sanskrit upto Matric standard or Higher Education.	**By promotion-** (i) Bachelor of Engineering/ Bachelor of Technology/ Master of Technology in (Computer Science/ Information Technology/ Electronics and Communication) with 1st Division or Master of Computer Applications / Master of Science (Computer Science) with 1st Division or 'B'/'C' Level course from Department of Electronics with 1st Division or Master of Science in (Physics/ Mathematics/Statistics) with 1st Division and Post Graduate Diploma in Computer Application with 1st Division; (ii) five years experience as Programmer; **By transfer or deputation-** (i) Bachelor of Engineering/ Bachelor of Technology/ Master of Technology in (Computer Science/ Information Technology/ Electronics and Communication) with 1st Division or Master of Computer Applications / Master of Science (Computer Science) with 1st Division or 'B'/'C' Level course from Department of Electronics with 1st Division or Master of Science in (Physics/ Mathematics/Statistics) with 1st Division and Post Graduate Diploma in Computer Application with 1st Division; (ii) five years experience of Software Development in any department; and (iii) Hindi/Sanskrit upto Matric standard or Higher Education
3	Project Officer	—	**By promotion-** (i) a Graduate; (ii) ten years experience as Assistant. **By transfer or deputation-** (i) a Graduate; (ii) one year experience as Superintendent or Deputy Superintendent or ten years experience as Assistant; and (iii) Hindi/Sanskrit upto Matric standard or Higher Education.

1	2	3	4
4	Superintendent	---	**By promotion -** Ten years experience as Assistant; **By transfer or deputation-** (i) a Graduate; (ii) one year experience as Superintendent or Deputy Superintendent or ten years experience as Assistant; and (iii) Hindi/Sanskrit upto Matric standard or Higher Education.
5	Research Officer	(i) Master of Arts 2nd Division in Economics or Mathematics or Commerce with Statistics from a recognised University; (ii) two years experience in collection/ compilation and analysis of Data; and (iii) Hindi/Sanskrit upto Matric standard or Higher Education.	**By promotion -** Three years experience as Tehnical Assistant; **By transfer or deputation-** (i) Master of Arts 2nd. Division in Economics or Mathematics or Commerce with Statistics from a recognised University; (ii) Two years experience in collection/ compilation and analysis of Data; and (iii) Hindi/Sanskrit upto Matric standard or Higher Education.
6	Private Secretary	---	**By promotion-** One year experience as Personal Assistant or eight years as Senior Scale Stenographer; **By transfer or deputation-** (i) five years experience as Personal Assistant; and (ii) Hindi/Sanskrit upto Matric standard or Higher Education.
7	Project Officer (MIS)	(i) Master of Arts in (Economics/ Mathematics /Statistics/ Rural Development)/ Master of Business Administration / Master of Computer Applications; (ii) ten years experience in Rural Development Programmes and Processes of Information Technology; and (iii) Hindi/Sanskrit upto Matric standard or Higher Education.	**By promotion-** (i) Master of Arts in (Economics / Mathematics / Statistics / Rural Development) / Master of Business Administration / Master of Computer Applications; (ii) Ten years experience as Assistant Programmer;. **By transfer or deputation-** (i) Master of Arts in (Economics / Mathematics / Statistics/Rural Development) / Master of Business Administration / Master of Computer Applications; (ii) Ten years experience in Rural Development Programmes and processes of Information Technology; and (iii) Hindi/Sanskrit upto Matric standard or Higher Education.".

4. In the said rules, in Appendices C and D,--

(i) for serial number 1 to 3 and entries thereagainst, under column 1 and 2, the following serial numbers and entries thereagainst shall be substituted, namely:--

1	2
"1	System Analyst
2	Project Officer
3	Superintendent
4	Research Officer
5	Private Secretary
6	Project Officer(MIS)"

(ii) for the existing note, the following note shall be substituted, namely:-

"*Note:* As regards the post of Accounts Officer, the penalties shall be imposed in accordance with the service rules of the parent department.".

RAM NIWAS,
Principal Secretary to Government Haryana,
Rural Development Department,
Chandigarh.